



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225605
CG-DL-E-03032021-225605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912]
No. 912]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2021/फाल्गुन 2, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2021/PHALGUNA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 986(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4752 (अ) तारीख 29/12/2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166 के कि.मी. 182.556 से कि.मी.224.000 तक के भू-खण्ड (सांगली - सोलापूर सेक्शन) के निर्माण (दो लेन को शोल्डर के साथ चार लेन में चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15.01.2021" को "दी इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) और "दैनिक तरुण भारत" (मराठी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 166 के (सांगली-सोलापुर सेक्शन) के कि. मी. 182.556 से कि. मी. 224.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सांगली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मिराज				
	गांव का नाम: भोसे				
1	1057 Part	निजी	कृषिक	0.12	सुशीला सुरगोंडा पाटील, बापूसो सुरगोंडा पाटील, बाबासो सुरगोंडा पाटील, वैशाली दादासो पाटील ()
2	1058 Part	निजी	कृषिक	0.2	अशोक श्यामगोंडा पाटील, तात्यासो श्यामगोंडा पाटील, निखिल अप्पासो पाटील, सुजाता अप्पासो पाटील, केवल अप्पासो पाटील, बाळासो श्यामगोंडा पाटील ()
3	256 Part	निजी	कृषिक	0.26	रमेश शंकर सुतार, यशोदाबाई शंकर सुतार, अशोक शंकर सुतार, दिपाली हनुमंतराव कोळेकर, सैजल विजयसिंह देशमुख, सम्राट हनुमंत कोळेकर, शितल

					नितीन पांडरे ()
4	895 Part	निजी	कृषिक	0.04	दिलीप श्यामराव कांबळे, गुंडा बापू पाटील, गौरव गुंडा कांबळे अ. पा. क. गुंडा ()
5	902 Part	निजी	कृषिक	0.015	विजय यल्लाप्पा कांबळे ()
6	903 Part	निजी	कृषिक	0.02	वैजयंती तुकाराम बाघमारे, सुमन रघुनाथ महाजन, फुलाबाई शामराव चव्हाण ()
7	905 Part	निजी	कृषिक	0.03	शिवाजी परसू कांबळे ()
8	906 Part	निजी	कृषिक	0.03	संजय आण्णासो कांबळे, शालन राजू नोकरे, बालासो आण्णासो कांबळे, कमल दत्ता मोरे, काकासो अप्पासो कांबळे, विमल राम मोरे, बाबासो आप्पासो कांबळे, मंगल बबन दबडे, रत्नबाई अप्पासो कांबळे, बाबू बावा कांबळे. ()
गांव का नाम: इनामधमनी					
9	444 Part	निजी	कृषिक	0.01	सुरेश शांतीनाथ नाईक, आशाधर बाबुराव मगदूम ()
			कुल	0.725	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 986(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4752 (E) Dated 29/12/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening of two-laning to four-laning with shoulders, etc.),

maintenance, management and operation of NH166 on the stretch of land from Km. 182.556 to Km. 224.000 (Sangli-Solapur Section) in the district of SANGLI in the State of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Indian Express*” (English) and “*Dainik Tarun Bharat*” (Marathi) both dated 15.01.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 182.556 to Km. 224.000 (Sangli-Solapur Section) of NH No. 166 in the district of SANGLI in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: SANGLI					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Miraj				
	Village: Bhose				
1	1057 Part	Private	Agricultural	0.12	Sushila Surgonda Patil, Babuso Surgonda Patil, Babaso Surgonda Patil, Vaishali Dadaso Patil
2	1058 Part	Private	Agricultural	0.2	Ashok Shyamgonda Patil, Taytaso Shyamgonda Patil, Nikhil Appaso Patil, Sujata Appaso Patil, Keval Appaso Patil, Balaso Shyamgonda Patil
3	256 Part	Private	Agricultural	0.26	Ramesh Shankar Sutar, Yashodabai Shankar Sutar, Ashok Shankar Sutar, Dipali Hanumant Kolekar, Saijal Vijaysingh Deshmukh, Samrat Hanumant Kolekar, Shital Nitin Pandhare
4	895 Part	Private	Agricultural	0.04	Dilip Shyamrao Kamble, Gunda Babu Patil, Gaurav Gunda Kamble M.G. Gunda
5	902 Part	Private	Agricultural	0.015	Vijay Yallapa Kamble
6	903 Part	Private	Agricultural	0.02	Vaijayanti Tukaram Waghmare, Suman Raghunath Mahajan, Fulabai Shyamrao Chavan
7	905 Part	Private	Agricultural	0.03	Shivaji Parsu Kamble

8	906 Part	Private	Agricultural	0.03	Sanjay Annaso Kamble, Shalan Raju Nokre, Balaso Aannaso Kamble, Kamal Dutta More, Kakaso Appaso Kamble, Vimal Ram More, Babaso Appaso Kamble, Mangal Baban Dabde, Ratnabai Appaso Kamble, Babu Bava Kambale
	Village: Inamdhamni				
9	444 Part	Private	Agricultural	0.01	Suresh Shantinath Naik, Ashadhar Baburao Magdum
			TOTAL	0.725	

[F. No. NHA/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3D]

RAJESH GUPTA, Director